मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय परिसर
पत्रकार कालोनी, लिंक रोड – 3 , भोपाल

मुख्यालय कार्यालयीन उपयोग हेतु कंप्यूटर कंज्यूमेवल एवं अन्य सामग्री क्रय दर अनुबंध हेतु

निविदा आमंत्रण

फोन न0 0755- 2677847

/ / निविदा, दस्तावेज के साथ संलग्न परिशिष्टों का विवरण //

निविदा दस्तावेज के साथ निम्नानुसार परिशिष्ट संलग्न है। समस्त परिशिष्ट निविदा दस्तावेज के अभिन्न अंग माने जाऐंगे तथा अनुबंध के समय अनुमोदित निविदाकार को इस दस्तावेज के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर व सील अंकित कर अनुबंध पत्र के साथ अन्य निर्दिष्ट औपचारिकतायें पूर्ण कर प्रस्तुत करना होगा ।

क्र0	**परिशिष्ट क्रमांक**	**विवरण**	**पेज क्रमांक**
1		निविदा परिचय एवं समय सारणी ।	03
2		निविदा कार्य अवधि, निविदा के उद्देश्य, निविदा का क्षेत्र, न्यूनतम अर्हताएं एवं अनिवार्य दस्तावेज विवरण एवं निविदा संबंधित अन्य गत-प्रावधान/ सुसंगत जानकारियाँ ।	04-13
3	परिशिष्ट – एक	निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण एवं तकनीकी बिड संबंधी अर्हताएं ।	14-16
4	परिशिष्ट- दो	फायनेन्शियल बिड अंतर्गत निविदा दरें प्रसतुत करने का प्रपत्र- कम्प्यूटर कंज्यूमेबल सामग्री हेतु	17
5	परिशिष्ट- तीन	सफल घोषित निविदाकार हेतु अनुबंध पत्र का प्रारूप	18
6	परिशिष्ट- चार	निविदाकार का सहमति पत्रक	19
7	परिशिष्ट –पांच	निविदाकार का 03 वर्ष का कंज्यूमेवल प्रदाय का टर्नओवर	20

समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त उल्लेखित समस्त प्रक्रिया - प्रावधानों एवं परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत निर्दिष्ट प्रक्रिया- नियमानुसार तकनीकी बिड व फाइनेन्सियल बिड ऑनलाइन में प्रस्तुत करें एवं एक बार में ही योग्य एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरें दें ।

महाप्रबंधक (कम्प्यूटर)

निविदा परिचय एवं समय सारणी

मुख्यालय कार्यालयीन उपयोग हेतु कम्प्यूटर कंज्यूमेबल एवं अन्य सामग्री क्रय हेतु ई- निविदा

कार्पोरेशन मुख्यालय कार्यालयीन उपयोग हेतु कम्प्यूटर कंज्यूमेबल हेतु दो वर्ष के लिए वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर आनलाईन निविदा आमंत्रित किए जाने हेतु यह निविदा दस्तावेज है ।

1	निविदा दस्तावेज की अवलोकन हेतु उपलब्धतता	यह निविदा दस्तावेज वेबसाईट्स **https://mpscsc.mp.gov.in** पर सिर्फ अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया गया है ।
2	निविदा हस्ताक्षर का मूल्य (जी.एस.टी. सहित)	रूपए 1000/- (एक हजार मात्र) कार्पोरेशन के एस.बी.आई के साख सीमा खाता संख्या – **40096060594** आई.एफ.एस.सी. SBIN0001920 कार्मशियल शाखा, स्थानीय प्रधान कार्यालय, भोपाल के माध्यम से देय होंगे ।
3	निविदा प्रकाशन दिनांक	07/09/2023
	निविदा दस्तावेज उपलब्धता पोर्टल	https://mptenders.gov.in
4	निविदा दस्तावेज उपलब्धता दिनांक एवं समय	दिनांक 09/09/2023 सुबह 11:00 बजे
5	ऑनलाईन निविदा जमा प्रारंभ दिनांक एवं समय	दिनांक 10/09/2023 शाम 04:00 बजे
6	ऑनलाईन निविदा जमा करने हेतु अंतिम दिनांक एवं समय	दिनाक 02/10/2023 अपरान्ह समय 04.00 बजे तक (आनलाईन)
7	निविदा खोले जाने की दिनांक एवं समय	तकनीकी बिड - दिनांक 03/10/2023 सुबह 04.00 बजे फायनेंशियल बिड- दिनांक 05/10/2023 सुबह 11:00 बजे
8	निविदा खोले जाने हेतु निर्धारित स्थान	मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय परिसर, पत्रकार कालोनी, लिंक रोड – 3 , भोपाल

सूचना-

1. निविदा दस्तावेज एवं निविदा प्रक्रिया ऑनलाईन भरने से संबंधित तकनीकी सहयोग व स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु टोल फ्री फोन नम्बर 0120-4001002, 0120-4001005 पर सुबह 10.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक या Technical-support-eproc@nic.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।
2. निविदा दस्तावेज के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन समय के दौरान श्री आर.एम. शर्मा, सहायक महाप्रबंधक (कम्प्यूटर कक्ष) से सम्पर्क किया जा सकता हैं।
3. यदि निविदा खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेंगी ।

महाप्रबंधक (कम्प्यूटर)

निविदा कार्य अवधि, निविदा के उद्देश्य, निविदा का कार्य, न्यूनतम अर्हताएं अनिवार्य दस्तावेज एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियागत प्रावधान – जानकारियाँ

1. **निविदा कार्य अवधिः-**

निविदा, अनुबंध दिनांक से 01 वर्ष के लिये रहेगी। आवश्यक कार्य परिस्थितियों में इस अनुबंध अवधि में कार्पोरेशन द्वारा आगामी एक वर्ष तक की वृद्धि सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा सकेगी। जिसे अनुबंधित निविदाकार द्वारा मान्य किया जाना बंधनकारी होगा । अपरिहार्य परिस्थितियों में इस विषय आगामी निविदा वर्ष हेतु आमंत्रित खुली निविदा में दर स्वीकृति और अनुबंधित प्रदायकर्ता द्वारा कार्य प्रारंभ करने की तिथि तक विद्यमान अनुबंधित प्रदायकर्ता अपनी अनुबंधित दरों पर कार्य जारी रखने हेतु प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार बाध्य होंगे।

2. **निविदा के उद्देश्यः-**

इस निविदा का मुख्य उद्देश्य कार्पोरेशन मुख्यालय हेतु कम्प्यूटर कंज्यूमेबल सामग्री प्रदाय हेतु 01 वर्ष एवं प्रावधान अनुसार बढ़ाई गई अवधि के लिये स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक दर पर सक्षम व कुशल प्रदायकर्ता का प्रदाय करना है। सफल निविदाकार को अनुमोदित दर पर अनुबंध अवधि हेतु निर्धारित शर्तों पर अनुबंध का पालन करना होगा।

3. **निविदा का कार्य-**

अनुबंध अवधि में कार्पोरेशन मुख्यालय से आदेशित कम्प्यूटर कंज्यूमेवल (परिशिष्ट – एक में उल्लेखित आयटम) समय पर निर्धारित न्यूनतम दरों पर प्रदाय किया जाना होगा ।

4. न्यूनतम अर्हताएँ एवं इस अनुसार अनिवार्य निविदा दस्तावेज विवरण जो इस निविदा की तकनीकि बिड के रूप में ऑनलाईन निविदा में स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य है-

स.क्र.	**न्यूनतम अर्हताएं**	**अनिवार्य दस्तावेज जो ऑनलाईन निविदा में अनिवार्यता स्केन कर अपलोड करने हैं**
4.1	निविदाकार को अपना परिचय व विवरण उद्घोषित करना होगा ।	निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण हेतु इस दस्तावेज के साथ संलग्न परिशिष्ट-एक को पूर्णतः भर कर प्रस्तुत करें ।
4.2	निविदाकार की हैसियत प्रोपराइटर स्वामित्व /फर्म भागीदारी/ कंपनी/ सहकारी समिति एवं निविदा प्रस्तुत करने की अधिकारिता जिसे निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत किया हो ।	प्रोपराइटर स्वामित्व,फर्म/भागीदारी/कंपनी/ सहकारी समिति किस रूप में निविदा भरी जा रहीं हैं को स्पष्ट करते हुये निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/ मुख्तारनामा की प्रति जो स्वप्रमाणित हो, स्केन कर संलग्न करना अनिवार्य है। स्वामी/ प्रोपाईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में यह आवश्यक नहीं है ।
4.3	टर्न ओवर प्रमाणपत्र	निविदाकार गत 04 वर्षो (2019-20, 2020,21-2021-22, 2022-23) में किन्ही 03 वर्षों के कंप्यूटर कन्स्युमेबल का कुल न्यूनतम टर्नओवर राशि रूपये 45 लाख एवं प्रतिवर्ष न्यूनतम राशि रूपये 15 लाख होना अनिवार्य है। टर्नओवर प्रमाण स्वरूप चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित प्रमाणपत्र (परिशिष्ट-5) संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

		निविदाकार द्वारा 04 वर्षो का टर्नओवर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में अंतिम 03 वर्षो का टर्नओवर ही गणना में लिया जायेगा।
4.4	सामग्री प्रदाय का गत 02 वर्ष का अनुभव प्रमाणन	वर्ष 2020-21-2021-22 एवं 2022-23 में से किसी 02 वर्ष में किसी संस्था/शासकीय विभाग/उपक्रम का कंप्यूटर कंजूमेबल सामग्री प्रदाय कार्य का अनुभव (वर्कआर्डर/अनुबंध) पत्र जिनसे प्रमाणित हो कि 02 वर्ष का कार्य अनुभव है । इस कार्य अनुभव प्रमाण पत्र/पत्रों की प्रति स्केन कर अपलोड करते हुये संलग्न करना है । एक से अधिक संस्था का कार्य अनुभव होने पर समरी शीट भी लगा दें, जिससे एक नजर मे स्पष्टता रहे ।
4.5	तकनीकी बिड के साथ निर्धारित प्रतिभूति राशि रू0 30000/-(रू0 तीस हजार मात्र) कारपोरेशन के बैंक खाते में ऑनलाईन जमा होना चाहिए ।	निविदा की तकनीकि बिड के साथ रू0 30000/-(रू0 तीस हजार मात्र) MP Tender Portal पर ऑनलाईन जमा कर, जमा राशि के प्रमाण रूप में ई-रिसीप्ट स्केन कर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है ।
4.6	ऑन लाईन निविदा फार्म क्रय राशि रू0 1000/-(एक हजार मात्र) की जमा रसीद	निविदा दस्तावेज के मूल्य की राशि रू0 1000/- (रू0 एक हजार मात्र) (कर सहित), कारपोरेशन के SBI के खाता संख्या 40096060594 IFSC SBIN0001920 कामर्शियल शाखा ,स्थानीय प्रधान कार्यालय, भोपाल में जमा कर क्रय की जावे। इस बैंक जमा रसीद को स्केन कर तकनीकि बिड के साथ अपलोड किया जावे ।
4.7	निविदा की तकनीकि बिड मे अर्हतायें निर्धारित घोषणा पत्र के रूप मे प्रस्तुत किया जाना	इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट क्रमांक-दो अनुसार निर्धारित विषय वस्तु एवं प्रारूप का निविदाकार द्वारा 100 रू के स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड घोषणा पत्र निविदा की तकनीकि बिड के साथ स्केन कर अपलोड कर प्रस्तुत किया जाना होगा ।
4.8	निविदाकार का आयकर विभाग से जारी पेन कार्ड की प्रति तथा एक अद्यतन आयकर विभाग में प्रस्तुत विवरणी की प्रति प्रस्तुत करना ।	निविदाकार का आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) छायाप्रति तथा वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 का आयकर विवरणी की प्रति को तकनीकि बिड के साथ स्केन कर अपलोड किया जावे ।
4.9	निविदा कंडिका 32(f) व 32(g) की पूर्ति हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रस्तुती ।	रूपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर निविदा दाता द्वारा इस आशय की पूर्ति हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य है ।
4.10	जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रस्तुती	जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की कापी (स्वप्रमाणित) तकनीकि बिड के साथ प्रस्तुत की जावे
4.11	बैंक खाता विवरण प्रस्तुती ।	निविदाकार को बैंक खाता एवं आई.एफ.एस.सी. नम्बर हेतु एक केन्सिल्ड चैक प्रस्तुत किया जावे

5. **परिभाषायें- इस निविदा दस्तावेज के लिए,**

a) **शब्द ''संविदा''** से अभिप्रेत अनुबंध से है और उसमें सम्मिलित है, निविदा आमंत्रण निविदा निर्देश, संविदा उसके परिशिष्ट, निविदा की स्वीकृति तथा ऐसी सामान्य और विशेष शर्ते भी समाविष्ट हैं, जो उनमें जोड़ी जायें। यह संविदा Indian contract Act 1872 के अधीन होगी।

b) **शब्द '' कारपोरेशन/निगम''** एवं मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, जहां कहीं आया है, से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड से है ।

c) **शब्द '' प्रबंध संचालक''** से अभिप्रेत है, प्रबंध संचालक जिसके प्रशासनिक क्षेत्रान्तर्गत कार्य जिसमें संविदा संबंधित है, का निष्पादन होगा इसमें प्रबंध संचालक द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी सम्मिलित रहेंगे।

d) **शब्द '' प्रदायकर्ता''** से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति या वे व्यक्ति, फर्म या कंपनी आदि जिसके साथ कम्प्यूटर कंज्यूमेवल उपयोगी सामग्री क्रय कार्य की संविदा की गई तथा प्रदायकर्ता इसमें यथास्थिति उनके वारिस/उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक तथा उनके अनुमति प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं।

e) **शब्द '' सेवाओं''** से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है निविदा निर्देशों/शर्तों/नियमों में उल्लेखित कार्या, की मदों में से किसी मद का संपादन इसमें ऐसे सहायक अतिरिक्त और प्रासंगिक कर्तव्य, सेवायें और संकार्य भी सम्मिलित हैं।

f) **शब्द ''अनुमोदित दर''** से अभिप्रेत है वह दर या दरें, जिसे सक्षम प्राधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जावेगा **।**

g) **शब्द '' सक्षम प्राधिकारी ''** से अभिप्रेत है, प्रबंध संचालक जिसके प्रशासनिक क्षेत्रान्तर्गत कार्य जिसमें संविदा संबंधित है, का निष्पादन होगा इसमें प्रबंध संचालक द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी सम्मिलित रहेंगे।

6. **<u>निविदा दस्तावेज का ऑनलाइन क्रय</u> –**

a) निविदा प्रपत्र (टेंडर डाक्युमेन्ट) वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर निविदा दस्तावेज के मूल्य की राशि रू0 1000/- (रू0 एक हजार मात्र) (कर सहित), ऑनलाइन कारपोरेशन के SBI के खाता संख्या 40096060594 IFSC SBIN0001920 कामर्शियल शाखा ,स्थानीय प्रधान कार्यालय, भोपाल में जमा कर क्रय की जावे। इस संबंध में MPSEDC को देय नियमानुसार प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाईन जमा कर यह प्राप्त होगा।

b) प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को निविदा प्रस्तुत करने हेतु टेण्डर फार्म निःशुल्क उपलब्ध करावें जावेंगे ।

7. **<u>ऑनलाइन निविदा कैसे प्रस्तुत करें –</u>**

a) निविदा दस्तावेज एवं निविदा प्रक्रिया ऑनलाईन भरने से संबंधित तकनीकी सहयोग व स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु टोल फ्री फोन नम्बर 0120.4001002, 0120-4001005 पर सुबह 10.00 बजे से सांय 7.00 **<u>या</u>** **Technical-support-eproc@nic.in** पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

b) निविदा दस्तावेज के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन समय के दौरान मोबाईल नं 9479374277, पर श्री आर.एम. शर्मा, सहायक महाप्रबंधक (कम्प्यूटर कक्ष) से सम्पर्क किया जा सकता हैं।

c) ऑनलाइन निविदा दो बिड सिस्टम 1. तकनीकी बिड, 2. फाइनेनशियल बिड के आधार पर बेवसाईट **https://mptenders.gov.in** पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगी ।

8. **<u>टेक्निकल बिड की प्रस्तुतिः-</u>**

इस निविदा दस्तावेज की कंडिका क्रमांक 4 में अंकित तालिका विवरण के अनुसार अंकित अनिवार्य पात्रता संबंधित सभी दस्तावेज /प्रमाण पत्र ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया में तकनीकि बिड के रूप में पृथक स्केन कर अपलोड किया जाना आवश्यक हैं । इस बारे में निविदा अपलोड करते समय विशेष सजगता एवं सावधानी रखी जाये । किसी भी स्थिति में ऑफलाईन दस्तावेज स्वीकार नहीं होंगे।

9. **<u>फाईनेन्सियल बिड की प्रस्तुति</u>**

a) ऑन लाईन निविदा प्रक्रिया में निविदाकार को इस निविदा दस्तावेज के साथ परिशिष्ट क्रमांक 3 में दिये गये प्रोफार्मा प्रपत्र के अनुरूप कम्प्यूटर कंज्यूमेवल की आयटमवार दरें फाइनेंसियल बिड प्रपत्र (BOQ) में अधिकृत व्यक्ति ऑन लाईन प्रस्तुत करेगें ।
b) फाईनेन्सियल बिड में दरें अंकों एवं शब्दों में सुवाच्य एवं स्पष्ट लिखी जानी चाहिए। दरों में अंको व शब्दों में भिन्नता की स्थिति में दोनों में से न्यूनतम दर मान्य की जायेगी।
c) जिस निविदाकार की सर्वाधिक सामग्री के लिए न्यूनतम होंगी , उसी निविदाकार को शेष अन्य आयटम , प्राप्त न्यूनतम दर पर किया जाना अनिवार्य होगा एवं यह बंधनकारी होगा। इस हेतु निविदाकार को **प्रारूप 'चार '** में सहमति पत्र निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न करना होगा |

10. **<u>निविदा की प्रस्तुति का समय सीमाः-</u>**

a) निविदाएं - दस्तावेज में वर्णित व्यवस्थानुसार निर्धारित तिथि व समय के अन्दर ऑन लाईन ही प्रस्तुत की जाना है, इस बारे में विशेष सावधानी एवं सजगता रखी जाये । निविदा में संबंधित सभी दस्तावेज निविदा खुलने की दिनाँक से पूर्व के ही मान्य किये जावेंगे।
b) सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।

11. **<u>निविदा में डिजिटल हस्ताक्षर</u>** –

ऑनलाइन निविदा, निविदाकार या उसके सक्षम प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से प्रस्तुत होना चाहिए। निविदा में निविदाकार द्वारा उसका पूरा नाम, पूरा पता एवं हैसियत (जैसे-स्वामी/भागीदार/कंपनी सचिव/ प्रबंध संचालक/ मुख्त्यार या संचालक अनिवार्यतः स्पष्ट करेंगे। निविदाकार की ओर से यदि अधिकृत व्यक्ति द्वारा निविदा डिजिटल हस्ताक्षर से प्रस्तुत होती है तो इस संबंध में स्वप्रमाणित मूल पॉवर आफ एटार्नी दस्तावेज स्केन कर अपलोड कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । उक्त पावर ऑफ एटार्नी के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर कंपनी /फर्म/समिति द्वारा पावर ऑफ एटार्नी जारी की जाती है तो पॉवर ऑफ एटार्नी दस्तावेज पर सभी संचालकों/भागीदारों/पदाधिकारियों के नाम सहित फर्म/कंपनी/समिति प्रमुख के हस्ताक्षर मय सील सहित होना अनिवार्य है। अधिकारिता प्रमाण के अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी।

12. **<u>निविदा फार्म पर अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर :</u>**

स्वामित्व/स्वामित्व फर्म/भागीदारी/कंपनी/सहकारी समिति के अधिकृत निविदाकार प्राधिकारी ही निविदा फार्म पर डिजिटल हस्ताक्षर करें, वे हैसियत का वैध प्रमाण बिन्दु क्रमांक 11 विवरणानुसार प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण के अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी ।

क्र.	निविदाकार का स्वरूप	निविदा कौन भर सकेगा
1	एकल स्वामित्व / प्रोपराईटर	एकल स्वामी/प्रोपराईटर स्वयं हस्ताक्षर करेंगे ।
2	भागीदारी फर्म	सभी भागीदार या उनका मुख्त्यारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
3	कंपनी	कंपनी द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति (कंपनी के अन्तर्नियमों की प्रति भी प्रस्तुत करना होगी)
4	सहकारी समिति	समिति द्वारा अधिकृत व्यक्ति

13. **<u>अमानत राशि (निविदा प्रतिभूति)</u>**

a) एक निविदा फार्म के साथ 30,000/-(रूपये तीस हजार मात्र), अमानत राशि के रूप में MP E-Tender Portal पर जमा कर जमा रसीद को स्केन कर तकनीकि बिड के साथ अपलोड किया जाये।
b) किसी भी अन्य निविदा फार्म के साथ या अन्य कार्य हेतु जमा अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) को इस निविदा फार्म के लिये जमा मान्य नहीं किया जायेगा।

c) अमानत राशि निविदाकार द्वारा परिशिष्ट-01 में दिये गये बैंक खाता नम्बर में कार्पोरेशन के द्वारा ऑनलाइन आर0टी0जी0एस0 (RTGS) के माध्यम से वापस की जायेगी ।
d) सफल द्वितीय न्यूनतम निविदाकार की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम न्यूनतम निविदाकार से अनुबंध निष्पादित, होने के उपरांत ऑनलाईन वापिस कर दी जावेगी।
e) असफल निविदाकारों की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी), फायनेंशियल बिड खुलने के बाद यथा संभव अधिकतम 30 कार्य दिवस में वापिस कर दी जायेगी।
f) किसी भी स्थिति में अमानत राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।
g) सफल निविदाकार की अमानत राशि को अनुबंध के समय जमानत राशि (Performance Guarantee) में समायोजित किया जा सकेगा ।
h) अमानत राशि / निष्पादन प्रतिभूति राशि(अर्नेस्ट मनी/सिक्यूरिटी एमाउंट), वापसी का आवेदन एवं अन्य पत्राचार करते समय निविदाकार विवरण के साथ आवश्यक रूप से सम्बंधित निविदा का टेण्डर क्र0 उल्लेखित करें। इस हेतु टेण्डर अपलोड करते समय ही यह टेण्डर नम्बर नोट कर लिया जावे, इसका विशेष ध्यान रखें ।
i) कार्य आदेश एवं निर्धारित मापदण्ड व गुणवत्ता अनुसार सामग्री प्रदाय नहीं किये जाने की स्थिति में अमानत राशि / निष्पादन प्रतिभूति राजसात की जा सकेगी।
j) मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 संशोधन वर्ष 2022 की कण्डिका 14 के प्रावधान अनुसार मध्य प्रदेश के सुक्ष्म एवं लघु उद्ययम तथा स्टार्टअप को निविदा की प्रतिभूति (Earnest Money Deposit) के भुगतान से छूट रहेगी यदि वे उस सामग्री के निर्माता है । इस हेतु मध्य प्रदेश में सुक्ष्म एवं लघु उद्ययम अथवा स्टार्टअप के रूप में पंजीबद्ध होने का वैध एवं विधि सम्मत पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ।

14. **पेनाल्टी/ शास्ति कटौत्रा प्रावधानः-**

a) निविदाकार द्वारा दरें , प्रदाय से संबंधित समस्त व्ययों सहित (GST छोड़कर) प्रस्तुत की जाना होगी। निविदा में स्वीकृत दर एवं GST के अतिरिक्त अन्य किसी भी राशि का भुगतान कापरिशन द्वारा नहीं किया जाएगा ।
b) निविदाकार को कार्य आदेश में उल्लेखित अवधि में बिना विलंब किए निर्धारित गुणवत्ता की सामग्री प्रदाय की जाना होगी ।
c) कण्डिका 39 में उल्लेखित परिस्थितियों एवं अन्य कोई अप्रत्याशित घटना जो प्रदायकर्ता के नियंत्रण के बाहर हो को छोड़कर, क्रय आदेश में उल्लेखित अवधि में सामग्री प्रदाय नहीं करने की स्थिति में विलम्बित अवधि पर निम्नानुसार पैनाल्टी अधिरोपित की जावेगी :-

विलम्बित अवधि	पैनाल्टी राशि
1 - 5 दिवस	2%
6-10 दिवस	5%
10 दिवस से अधिक	10%

d) 30 दिवस से अधिक बिलम्ब की स्थिति में अमानत राशि / निष्पादन प्रतिभूति राजसात की जा सकेगी।
e) निविदाकार द्वारा आदेशित सामग्री निर्धारित गुणवत्ता की प्रदाय न करने के फलस्वरूप उनके देयक से योग्य शास्ति राशि काटने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा ।
f) निविदा दरें प्रस्तुत करने के उपरांत प्रदायकर्ता की लागत के किसी घटक की लागत बढ़ने, अथवा अन्य कोई करों का भार आदि भारित होता है तो यह पूर्णता अनुबंधित निविदाकार का दायित्व होगा ।

15. **निविदा खोलने की तिथिः-**

निर्धारित स्थान, दिनाँक व समय पर नियुक्त समिति, उपस्थित निविदाकारों के समक्ष निविदा ऑन लाईन खोलेगी। निविदाकारों की तकनीकी बिड का परीक्षण किया जायेगा और तकनीकी बिड में सफल

निविदाकारों की घोषणा के पश्चात् सफल निविदाकारों की ऑनलाईन फाईनेन्सियल बिड खोली जायेगी। फाईनेन्सियल बिड निर्धारित दिनाँक व समय पर पढ़कर सुनाई जायेगी। निविदाएं खोलने के समय स्वयं निविदाकार व उनके अधिकृत प्रतिनिधि स्वंय के व्यय पर उपस्थित हो सकेंगे।

16. **न्यूनतम निविदाकार का निर्धारण एवं कार्यवाहीः-**

a) जिस निविदाकार की दरें परिशिष्ट '2' में उल्लेख़ित 07 सामग्रियों में से सर्वाधिक सामग्री के लिए न्यूनतम होंगी , उसी निविदाकार को शेष अन्य आयटम , निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर पर प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा एवं यह बंधनकारी होगा। इस हेतु निविदाकार को निर्धारित प्रारूप में सहमति पत्र निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न करना होगा|

b) उपरोक्त बिंदु 'a' के सन्दर्भ में यदि 01 से अधिक निविदाकारों की दरें न्यूनतम पाई जाती है तो जिस निविदाकार कम्प्यूटर कंज्यूमेबल प्रदाय का 03 वर्ष का औसत टर्नओवर (परिशिष्ट-5 अनुसार) अधिक होगा उस निविदाकार की दरें न्यूनतम मानी जावेंगी ।

c) उक्तानुसार प्रथम न्यूनतम निविदाकार द्वारा अनुबंध न करने की दशा में प्रथम न्यूनतम निविदाकार की अर्नेस्ट मनी राजसात की जायेगी व उस निविदा वर्ष एवं आगामी 01 वर्ष तक के लिये कारपोरेशन की निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जायेगा ।

d) प्रथम न्यूनतम निविदाकार के अनुबंध न करने पर द्वितीय न्यूनतम निविदाकार को प्रथम न्यूनतम दर का ऑफर दिया जायेगा । उसकी सहमति की दशा में उससे संव्यवहार उसी प्रकार होगा जैसे प्रथम न्यूनतम निविदाकार से होगा।

e) अनुबंध करते समय निविदाकार को इस निविदा दस्तावेज कंडिका क्रमांक 4 तालिका में अंकित अनिवार्य दस्तावेज मूलरूप से कार्पोरेशन मुख्यालय महाप्रबंधक (कम्प्यूटर) के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। यदि निविदाकार मूल अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो निविदा दस्तावेज की कंडिका क्र0 17 अनुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही कारपोरेशन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही भी कर सकेगा ।

17. **अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुति में विफल रहना/ दरों में संशोधन/ मुकरना / अनुबंध न करनाः-**

निविदाकार अनुबंध करते समय अनिवार्य दस्तावेज मूल रूप से प्रस्तुत करने में विफल रहता है, प्रस्तुत निविदा में दर संशोधन करता है या अपनी दर से मुखरता है या निर्धारित तिथि तक अनुबंध नहीं करता है, अर्नेस्ट मनी राजसात की जायेगी व उस निविदा वर्ष एवं आगामी 01 वर्ष तक के लिये कारपोरेशन की निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जायेगा ।

18. **निविदाकार की संरचना :**

निविदा प्रस्तुत करते समय निविदाकार यह घोषित करेंगे कि वह एकल स्वामित्व संस्था/फर्म है या पंजीकृत भागीदारी फर्म या निजी मर्यादित कंपनी या भारत में निर्गमित सार्वजनिक मर्यादित कंपनी या सहकारी समिति है। निविदा में भागीदारी फर्म की संरचना, कंपनी के संचालकों के नाम स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए। निविदाकार ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करेंगे, जिनके हाथों में संविदा के दौरान संविदा से संबंधित कार्य का नियंत्रण एवं सक्रिय प्रबंध रहेगा। इन व्यक्तियों के नाम अधिकार पत्र, नाम,पता, प्रमाणित हस्ताक्षर एवं छायाचित्र वांछित संख्या में निविदाकारों द्वारा अनुबंध के समय प्रस्तुत किये जावेंगे। ऐसे मनोनीत किये गये व्यक्तियों को यह समझा जावेगा कि उसे संविदा के संबंध में निविदाकार से विधिवत मुख्त्यारनामा प्राप्त है और उसके समस्त कार्य निविदाकार के लिये बाध्य होंगे।

19. **संविदा के उददेश्यः-**

संविदा के अधीन प्रदायकर्ता कार्पोरेशन आदेशानुसार आदेशित कार्य करेंगे। इसके साथ अतिरिक्त सहायता एवं आकस्मिक कर्तव्य/सेवायें एवं संचालन, जो इन नियमों व शर्तो में असंगत नही होगा, कार्पोरेशन के आदेशानुसार करेगा ।

20. **<u>संविदा के पक्षकारः-</u>**

संविदा के पक्षकार सफल निविदाकार एवं एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मुख्यालय है। अनुबंध पत्र पर स्वयं निविदाकार जिसने निविदा भरी हो या निविदाकार द्वारा जिसे विधिक रूप से मुख्त्यारनामा देकर अधिकृत किया हो, हस्ताक्षर करेगा। निविदाकार के मुख्त्यारनामा की मूल प्रति अनुबंध के समय कार्पोरेशन में जमा करना अनिवार्य है। कार्पोरेशन की ओर से अनुबंध पर संबंधित महाप्रबंधक (कम्प्यूटर) हस्ताक्षर करेंगे।

21. **<u>संविदा की अवधिः-</u>**

a. संविदा की अवधि अनुबंध दिनाँक से एक वर्ष तक रहेगी।
b. अनुबंध की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात स्वीकृत दर पर कार्य कराने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक वर्ष तक की वृद्धि की जा सकेगी, जिसे मानने के लिये प्रदायकर्ता बाध्य रहेगा।
c. आगामी निविदा वर्ष हेतु आमंत्रित खुली निविदा में दर स्वीकृति और अनुबंधित प्रदायकर्ता द्वारा कार्य प्रारंभ करने की तिथि तक विद्यमान अनुबंधित प्रदायकर्ता अपनी अनुबंधित दरों पर कार्य जारी रखने हेतु प्रबंध संचालक निर्णयानुसार बाध्य होंगे।

22. **<u>कार्य की मात्राः-</u>**

संविदा की अवधि के दौरान किसी निश्चित मात्रा में कार्य देने की गारंटी नहीं दी जा सकती है। यदि कभी कोई कार्य नहीं हुआ अथवा कार्य की मात्रा कम या अधिक रही तो इसके लिये प्रदायकर्ता का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

23. **निष्पादन <u>प्रतिभूति (Performance Guarantee) राशि जमा कर संविदा निष्पादित करनाः-</u>**

a. सफल निविदाकार को कार्पोरेशन में रू0 90,000/-(रू0 नब्बे हजार मात्र) के निष्पादन प्रतिभूति (सुरक्षा निधि) राष्ट्रीकृत बैंक की बैंक गारंटी के रूप में कार्पोरेशन में जमा करनी होगी जो निविदा अवधि समाप्ति के 03 माह पश्चात रिलीज किया जायेगा। । उक्त राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।
b. परिशिष्ट-04 के प्रारूप अनुसार निर्धारित मुद्रांक पत्र पर वांछित अनिवार्य अभिलेखों के साथ कार्पोरेशन के मुख्यालय में उपस्थित होकर वांछित शेष राशि जमा करने के उपरांत अधिकतम 05 दिवस में अनुबंध निष्पादित करना आवश्यक होगा।
c. अनुबंध के समय कार्पोरेशन द्वारा बताये दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे ।
d. तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत समस्त स्व-प्रमाणित दस्तावेजों की मूल प्रतियॉ, कार्पोरेशन मुख्यालय के द्वारा प्रमाणन प्रश्चात् मूल प्रतियां वापिस की जायेंगी। निविदाकार द्वारा निविदा में प्रस्तुत स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों पर संबंधित कक्ष प्रभारी या उनके अधिकृत अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे व अनुबंध के रूप में रिकार्ड में रखेंगे ।
e. सफल निविदाकार द्वारा निर्दिष्ट समयावधि में अनुबंध न करने पर, अनुबंध का अवसर समाप्त माना जायेगा तथा कार्पोरेशन द्वितीय न्यूनतम निविदाकार से न्यूनता के क्रम अनुसार, कारपोरेशन की स्वीकृत दरों पर अनुबंध हेतु पहल कर सकेगा।

24. संविदा के समाप्त होने की स्थिति में भी कार्पोरेशन देयताऐं, हानि एवं क्षति, प्रतिभूति की राशि देने हेतु बाध्यता रहेगी । यह राशि जमा न करने पर कार्पोरेशन आर0आर0सी0 या सिविल वाद के अनुसार वसूलेगा।

25. **<u>कार्यादेश प्राप्ति-</u>**

प्रदायकर्ता को या उसके अधिकृत प्रतिनिधि/प्रबंधक को कार्यादेश देगा। इसे प्रदायकर्ता को स्वीकार करना होगा। यदि कार्यादेश की तामीली इनमें से किसी पर भी कराना संभव नहीं हो, तो तामीली प्रदायकर्ता के घोषित कार्यालय भवन पर अथवा प्रदायकर्ता द्वारा दिये गये ई-मेल पते पर दी जायेगी, जिसे तामीली माना जायेगा।

26. **<u>आदेश का त्वरित क्रियान्वयनः-</u>**

प्रदायकर्ता को तत्कालिक आवश्यकता के अधीन निर्देशित किया जा सकेगा। तदनुसार प्रदायकर्ता उसका पालन करने हेतु बाध्य होगा। ऐसे मामलों में 24 घंटे के अन्दर संबंधित कार्य पूर्ण करना होगा।

27. **<u>प्रदायकर्ता का कार्यालय व अधिकृत प्रतिनिधि-</u>**

प्रदायकर्ता को भोपाल में अपना संपर्क कार्यालय और अधिकृत प्रतिनिधि रखना अनिवार्य होगा । उनका नाम, पता, दूरभाष, मोबाइल, फेक्स क्रमांक तथा ई-मेल पता हैसियत, प्रमाणित हस्ताक्षर अनुबंध के समय प्रस्तुत करना होगा।

28. निविदाकार के साथ अनुबंध के रहते हुये समानांतर रूप से कारपोरेशन स्वयं की व्यवस्था कर सकता है या ऐसे अन्य व्यवस्था बना सकता है जो कार्य को निर्बाध गति से पूर्ण करने के लिये आवश्यक है । इस हेतु प्रदायकर्ता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी और न ही किसी क्षतिपूर्ति का अधिकार होगा ।

29. **<u>कारपोरेशन को हुई हानि /क्षति आदि के लिये प्रदायकर्ता के उत्तरदायित्व एवं देयतायें-</u>**

प्रदायकर्ता द्वारा कार्य की उपेक्षा सेवाओं में अकुशलता, किसी भी शर्त का उल्लंघन करने के कारण कारपोरेशन को हुई किसी क्षति, हानि अतिरिक्त प्रभार/लागत आदि प्रदायकर्ता से प्रतिभूति व अन्य देय राशियां से वसूली जायेगी। यदि कापरिशन द्वारा व्यय की गई कुल राशि की पूर्ति के लिये राशि अपर्याप्त रहती है, तो शेष राशि कापरिशन द्वारा मांगे जाने पर प्रदायकर्ता देने हेतु बाध्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो कारपोरेशन इस संविदा को तत्काल समाप्त कर सकेगा व कारपोरेशन के साथ सभी संविदाऐं निरस्त करते हुए काली सूची में रखेगा व आगामी 2 वर्ष तक कार्पोरेशन की इस विषयक निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित किया जायेगा। यह प्रतिबंध अनुबंधित फर्म के साथ-साथ फर्म के स्वामी/फर्म के भागीदार, कंपनी पर भी लागू रहेगा। कापरिशन उस पर कानूनी कार्यवाही कर मय खर्चे के (आर0आर0सी0) या सिविल वाद के अनुसार उक्त राशि वसूल कर सकेगा।

30. **<u>भुगतान व्यवस्था :-</u>**

a) आदेशानुसार कम्प्यूटर कंज्यूमेवल के प्रदाय आयटम्स के बिल प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान निविदाकार द्वारा निविदा के साथ उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में किया जावेगा।
b) बैंक खाता एवं आई.एफ.एस.सी. नम्बर हेतु एक केन्सिल चैक तकनीकि बिड के साथ प्रस्तुत किया जावे।
c) समय समय पर आयकर अधिनियम में प्रभावी प्रावधानों के अंतर्गत टी0डी0एस0 एवं अन्य कर यदि देय हो तो उसका कटौत्रा कुल सकल राशि पर किया जाएगा। निगम द्वारा इस काटी गई आयकर टी0डी0एस0 राशि के संबंध में टी0डी0एस0 प्रमाण-पत्र संबंधित प्रदायकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा।
d) कण्डिका 39 में उल्लेखित परिस्थितियों एवं अन्य कोई अप्रत्याशित घटना जो कार्पोरेशन के नियंत्रण के बाहर हो को छोड़कर , क्रय आदेश अनुसार सामग्री प्रदाय करने के पश्चात कार्पोरेशन द्वारा अधिकतम 15 दिवस में भुगतान किया जावेगा।

31. **<u>अयोग्यताऐं-</u>**

a) प्रदायकर्ता द्वारा कार्यादेश के अनुसार कार्य में निराशाजनक/टालमटोल प्रदर्शन को उसकी कार्य हेतु अयोग्यता मानी जायेगी।
b) प्रदायकर्ता के द्वारा जानबूझकर कार्य में विलंब, या अन्य कपटपूर्ण आचरण करने पर उसके विरूद्ध अन्य कार्यवाहियों के अलावा उसे अनिवार्यतः कार्पोरेशन की काली सूची में दर्ज कर भविष्य में कार्पोरेशन की समस्त निविदाओं में किसी भी हैसियत से भाग लेने हेतु 2 वर्षो तक के लिये अनुपयुक्त/अयोग्य घोषित किया जावेगा। काली सूचीबद्ध होने पर प्रदायकर्ता के कार्पोरेशन के साथ

सभी प्रचलित अनुबंध निरस्त किये जा सकेंगे व जमा प्रतिभूति राशि राजसात की जावेगी । प्रदायकर्ता से समस्त वसूली योग्य राशि वसूली जायेंगी। इस कंडिका के तहत काली सूचीबद्ध किये जाने के अधिकार प्रबंध संचालक को होंगे ।

c) प्रदायकर्ता या उससे संबंधित उसके पार्टनर/बिजनेस एसोसिएट/स्टाफ/मजदूर के विषय में कार्पोरेशन को यह विश्वास स्थापित होने पर कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा/आचरण संदिग्ध है, तब कार्पोरेशन की छवि एवं हितों के लिए ऐसे प्रदायकर्ता को उसी समय कार्पोरेशन से सम्बद्ध समस्त कार्यवाहियों के लिए अयोग्य घोषित कर प्रचलित से/संविदा से हटाया जा सकेगा।
d) प्रदायकर्ता द्वारा असत्य, छलपूर्ण या त्रूटिपूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने, संविदा के नियम, निर्देश, शर्त का उल्लंघन करने पर निविदा निरस्त की जायेगी और अनुबंध की स्थिति में अनुबंध समाप्त किया जायेगा, प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी राशि) / EMD राजसात की जायेगी और अनुबंध की शेष अवधि के लिए प्रदायकर्ता की जोखिम एवं खर्च पर कार्य करवाया जाकर राशि वसूली जायेगी।
उपरोक्त कण्डिकाओं के तहत कार्यवाही के समस्त अधिकार प्रबंध संचालक को होंगे ।

32. **<u>विविध</u>**-

a. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये पूर्ण/आंशिक, मान्य/अमान्य करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होंगे ।
b. प्रबंध संचालक को विशेष परिस्थितियों में कारपोरेशन हित में निविदा की शर्तो, नियमों आदि को शिथिल व अनुबंध की शर्तो में युक्तियुक्त प्रासंगिक संशोधन करने का पूर्ण अधिकार होंगे ।
c. निविदा दस्तावेज एवं अनुबंध के प्रावधानों के विषय में अभिप्राय (interpretation) के संबंध में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
d. निविदायें, निविदा खुलने की दिनाँक से स्वीकृति हेतु 90 दिनों तक वैध रहेंगी।
e. निविदा की स्वीकृत दरें, निविदा खुलने की दिनाँक से निविदा अवधि / विस्तारित अवधि (Extended Period) तक वैध रहेंगी।
f. ऐसे निविदाकार जो केन्द्र / राज्य शासन /शासकीय संस्था/अर्द्धशासकीय संस्था / सार्वजनिक उपक्रम से निविदा में वर्णित कार्य हेतु निविदा दिनाँक को प्रतिबंधित हो, निविदा प्रस्तुत करने हेतु पात्र नहीं होगें।
g. यदि किसी निविदाकार,उसकी,फर्म,कंपनी आदि को किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/ सार्वजनिक उपक्रम द्वारा निविदा में वर्णित कार्य के लिए काली सूची में दर्ज/अधिसूचित किया गया है, तो उसे कार्पोरेशन द्वारा भी काली सूची में माना जाएगा वा ऐसे निविदाकार की प्रस्तुत निविदा अपात्र श्रेणी में मान्य होकर विचारणीय नहीं होगी ।

33. **<u>निविदा में संशोधन/परिवर्तन</u>**

a) कारपोरेशन, निविदा की शर्तो में निविदा जमा करने हेतु नियत अंतिम तिथि से 03 दिवस पूर्व तक आवश्यक संशोधन, क्लेरिफिकेशन परिमार्जन आदि कर सकता है।
b) सभी संशोधन क्लेरिफिकेशन, परिमार्जन आदि सिर्फ अधिकृत ई-टेण्डर वेबसाईट एवं कारपोरेशन की वेबसाईट पर ही प्रदर्शित होंगे ।
c) सभी निविदाकर्ताओं से अपेक्षा है, कि वे समय-समय पर उल्लेखित ई-टेण्डर वेबसाईट एवं कारपोरेशन की वेबसाईट पर इस निविदा सूचना के तहत संशोधनों को भी देखते रहें । निविदाकार को उक्तानुसार संशोधनों आदि के कारण किसी भी प्रकार की त्रुटि, भ्रान्ति/शंका व वेबसाईट अपडेट रूप से न देखने के कारण असफलता/हानि या किसी प्रकार की क्षति होती है, तो कापरिशन उत्तरदायी नहीं होगा ।

34. **<u>संविदा को शासित करने वाले कानून/विधि-</u>**

संविदा, तत्समय भारत में प्रभावशील कानूनों/विधियों द्वारा शासित अर्थात् लागू होगा।

35. **<u>सरसरी तौर पर समापन-</u>**

यदि प्रदायकर्ता को दिवालिया निर्णित किया जाता है या वे अपना व्यापार परिसमाप्त या बंद कर रहे हैं या अपने लेनदारों से कोई व्यवस्था कर रहे है या इस संविदा के किसी प्रावधान या संविदा को शासित करने वाली किसी भी शर्त एवं निबंधनों का पालन करने में विफल रहते है, सेवा में उसकी अकुशलता से कारपोरेशन को हानि होती है, तो कारपोरेशन संविदा को तुरंत समाप्त कर देगा तथा संविदा की शेष अवधि के लिये कार्य प्रदायकर्ता के जोखिम एवं लागत पर करवाया जायेगा एवं इसके परिणाम स्वरूप हुई क्षति, हानि, प्रभार, खर्चे, लागत को प्रदायकर्ता से वसूलेगा। भागीदारी अधिनियम के अधीन विधिवत रूप से गठित भागीदारी फर्म के भंग हो जाने की स्थिति में कार्पोरेशन द्वारा देय राशि का निपटारा सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार किया जाएगा।

36. **<u>मुजरा (सैट ऑफ)-</u>**

इस संविदा व प्रदायकर्ता द्वारा कार्पोरेशन के साथ अन्य संविदा के अंतर्गत प्रदायकर्ता को देय एवं भुगतान योग्य किसी भी राशि से किसी भी दावे को मुजरा (सैट आफ)/समायोजित कर सकेगा।

37. **<u>लेखा-बही निरीक्षण</u>**-

जब कभी भी महाप्रबंधक या अधिकृत अधिकारी द्वारा कहा जाये प्रदायकर्ता किसी भी लागत या लेखे की अन्य लेखा पुस्तिका, रसीदों,पत्रों, ज्ञापनों या लिखितों या ऐसे किसी भी दस्तावेज की सत्य प्रति या उसके सारांश को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवायेगा।

38. **<u>भ्रष्ट आचरण/रिश्वत/घूसखोरी/कमीशन आदि –</u>**

निविदाकारों द्वारा या उनकी ओर से कारपोरेशन के किसी अधिकारी या सेवक को कोई अनुकूल व प्रतिकूल कार्य हेतु किसी रिश्वत, कमीशन या लाभ के लिये दिये गये आफर या उसके लिये किये गये किसी वायदे से प्रभावित किया जावेगा तो उनकी निविदाओं को विचार करने से वंचित कर दिया जावेगा। निविदाकार द्वारा उसकी ओर से किसी भी प्रकार के प्रचार से भी उसकी निविदा निरस्त/अस्वीकार कर दी जावेगी तथा 10 वर्ष के लिये कपटपूर्ण आचरण के विधि अन्तर्गत अनुसार कार्यवाही की जायेगी एवं आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जावेगा।

39. **<u>अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) –</u>**

कोई भी पक्ष ऐसी स्थिति (उदाहरण के लिए, प्राकृतिक आपदा, युद्ध या आतंकवाद का कार्य, दंगा, श्रमिक स्थिति, सरकारी कार्रवाई और इंटरनेट गड़बड़ी आदि) के कारण अपर्याप्त प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उनके उचित नियंत्रण से परे था।

40. **<u>विवादों का निराकरण-</u>**

a) महाप्रबंधक (कम्प्यूटर) के किसी निर्णय से असहमत की स्थिति में प्रबंध संचालक को अपील की जा सकेगीं। प्रबन्ध संचालक के निर्णय से असंतुष्ट होने पर विवादों के निराकरण हेतु संचालक/आयुक्त, खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, म0प्र0 शासन, भोपाल को अपील की जा सकेगी । किसी भी विवाद को न्यायालय में ले जाने के पूर्व इस प्रक्रिया का पालन न्याय व्यवस्था हेतु , उभयपक्षों के लिये अनिवार्य होगा।
b) इस निविदा अनुबंध से संबंधित किसी भी विवाद के निराकरण के लिये न्यायालयीन कार्यवाही हेतु न्याय क्षेत्र भोपाल शहर होगा ।

41. **<u>व्यवहार एवं आचरण-</u>**

प्रदायकर्ता एवं उसके द्वारा नियोजित समस्त कर्मचारी/श्रमिक कारपोरेशन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से सौहार्द व विवेकपूर्ण रहते हुए कंप्यूटर कंज्यूमेबल प्रदाय कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। प्रदायकर्ता की अथवा उसके कर्मचारियों की अथवा उसकी कर्मचारियों/अधिकारियों की कार्पोरेशन के अधिकारियों/कर्मचारियों से झगड़ालू/दबाव की मनोवृत्ति/ प्रवृत्ति/अभद्र/अशोभनीय व्यवहार प्रदर्शित होने पर, कार्पोरेशन के अधिकारी

की रिपोर्ट पर कारपोरेशन उसकी संविदा को तत्काल समाप्त कर देगा एवं उसे आगामी निविदाओं में किसी भी हैसियत से भाग लेने से भी वंचित कर देगा इसके साथ अन्य क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर वसूली करेगा व प्रदायकर्ता के विरूद्ध समस्त कार्यवाहियाँ संस्थित करेगा।

महाप्रबंधक (कम्प्यूटर)

नोटः- निविदाकार इस प्रोफार्मा को पूर्ण भरकर स्केन कर तकनीकी बिड के रूप में अपलोड करेगें)

परिशिष्ट-एक

निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण/तकनीकी बिड़ पत्रक/अर्हताएं

प्रेषक ,

....(निविदाकार का नाम एवं पूर्ण स्थायी पता)

....

....(कार्यालय का पता)

....

प्रति,

प्रबधं संचालक

एम.पी.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,

. ...

विषयः - मुख्यालय कार्यालयीन उपयोगी कम्प्यूटर कंज्यूमेवल प्रदाय हेतु निविदा ।

महोदय,

एम.पी.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि., के लिये प्रकाशित निविदा सूचना को व इस निविदा दस्तावेज को भली-भांति पढ़ व समझ लिया है। यह दस्तावेज हमारे द्वारा https://mptenders.gov.in से डाउन लोड किया है ।

2. मैं/हम इस दस्तावेज की समस्त शर्तो व नियमों के पालन के लिये सहमत हूँ ।
3. मैं/हम उक्त कार्य के लिये अपनी/हमारी दरें भर रहे हैं/रहा हूं ।
4. हमारा/मेरा विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र. 4.1	**निविदाकार का व्यक्तिगत विवरण -संपर्क**	**विवरण**
	निविदाकार का पूरा नाम	
	पता	
	दूरभाष क्रमांक कार्यालय कोड सहित	
	निवास का दूरभाष कोड सहित	
	मोबाईल नम्बर	
	ई-मेल आई.डी.	
	फैक्स नम्बर	
	जी एस टी क्रमांक	
4.2	एकल स्वामित्व -प्रोपराइटर/भागीदारी / स्वामित्वफर्म/ भागीदारी/ कंपनी/ सहकारी समिति जिस रूप में निविदा भर रहें का उल्लेख एवं इस निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पद एवं हैसियत का उल्लेख करें ।	
	एकल स्वामी/का नाम व पिता का नाम व पता	
	फर्म की स्थिति में भागीदारों के नाम पिता के नाम सहित	

	व पता	
	कंपनी अधिकृत व्यक्ति का नाम व पता	
	◦भागीदारों का विवरण- कृपया नाम बतायें	
	◦सहकारी समिति की दशा में अध्यक्ष एवं सचिव का नाम	
	◦निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराइटरशिप) की स्थिति में (मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत)/भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत/एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी एक्ट के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक अंकित कराये	
4.3	निविदा फार्म मूल्य एवं अमानत राशि जमा विवरण	
	निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने की बैंक जमा सुपठित रसीद स्केन कर संलग्न करना अनिवार्य है। (रू0 1000/- की रसीद)	क्रमांक................ दिनाँक................ राशि....................
	तकनीकी बिड के साथ वांछित अमानत राशि (ई.एम.डी) राशि रू. 30,000/ - etenders पोर्टल पर ऑनलाइन जमा कर, जमा राशि प्रमाण के रूप में ई-रिसीप्ट स्केन कर निविदा तकनीकि बिड के साथ अपलोड करें ।	क्रमांक................ दिनाँक................ राशि....................
4.4	निविदाकार का आयकर स्थायी खाता क्रमांक	
4.5	निविदाकार का बैंक विवरण	
	बैंकर का नाम शाखा सहित, खाता क्रमांक लिखें जिसमें कंप्यूटर कंज्यूमेवल प्रदाय बिल का भुगतान प्राप्त किया जाना हैं ।	बैंक का नाम .... बैक का आई0एफ0एस0सीकोड........................ बैंक एंकाउट नम्बर......................(बचत ,खाता/चालू खाता) बैंक शाखा का नाम एवं स्थान.........
4.6	गत वर्षो में अमानत /प्रतिभूति राशि कारपोरेशन की किसी भी निविदा अंतर्गत राजसात की गई है । यदि हॉ तो विवरण दें ।	हां/नहीं
4.7	क्या कभी निविदाकार को इस कारपोरेशन द्वारा निविदा भरने या कार्य से प्रतिबंधित किया गया था। यदि हॉ तो विवरण दें।	हां/नहीं
4.8	क्या निविदाकार को कभी किसी शासन/ शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्था/ अन्य संस्था द्वारा कंप्यूटर कंज्यूमेवल प्रदाय कार्य हेतु प्रतिबंधित, कालीसूची में रखा गया था। यदि हों, तो विवरण देवे व हां की स्थिति में समयावधि भी बतायें	कृपया लेटर हेड पर इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करें । (सत्यापित प्रारूप)

मैं/ हम यह शपथपूर्वक घोषणा भी करते हैं कि मुझे/ हमें/ हमारी फर्म/ संस्थान/ कंपनी को किसी शासकीय / अर्द्ध शासकीय/ अन्य संस्थान ने निविदा प्रस्तुत की दिनांक तक काली सूची में दर्ज नहीं किया है / संबंधित संस्था की आगामी, निविदा में भाग लेने से वंचित नहीं किया है।

यदि उपरोक्तानुसार प्रपत्र में दी गयी जानकारी में कोई असत्यता / त्रुटि पायी जाती है तो मेरी/ हमारी निविदा निरस्ती योग्य होगी व गलत जानकारी देने हेतु हम दण्डात्मक कानूनी कार्यवाही हेतु जबावदेह होंगे ।

हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं/ करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गयी प्रविष्टियाँ मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही है एवं इस हेतु मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूँगा तथा इस बाबत दण्डात्मक प्रावधानों को स्वीकार करूँगा।

दिनांक

निविदाकार के हस्ताक्षर............................

नाम ....

फर्म का नाम ....

परिशिष्ट- 02

फायनेंशियल बिड प्रपत्र

कार्यालयीन कम्प्यूटर कंज्यूमेबल सामग्री की दरे समस्त करों- व्ययों सहित

S.No.	PRINTER NAME	CARTAGE NO	ORIGINAL CARTRIDGE RATE (Excluding GST)	COMPATABLE CARTRIDGE RATE (Excluding GST)
1	Laserjet Pro MFP M329 dw (Mono Cartridge	77-A		NA
2	HP Laserjet ProM128 fn	88-A		
3	PANTUM 3500 DN	PC-310 HK		
4	SAMSUNG ML - 1640	ML 108		
5	HP Color LaserJet M-255 dw	206x		
	Black			
	Cyan			
	Magenta			
	Yellow			
6	Epson EcoTank L15150	PTL-008		
	Black			
	Cyan			
	Magenta			
	Yellow			

S.No.	PRINTER NAME	Unit Rate
1	512 GB SSD Hard Disk (Internal)	

निविदाकर्ता का नाम ....
हस्ताक्षर ....

अनुबंध-पत्र (नमूना प्रति)

(500/- रुपए मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं /हम (यहां संविदाकार के पूरे नाम और पते का उल्लेख करें) मेसर्स ....जो कि एक पंजीयन निर्माता/भागीदारी फर्म/ स्वामित्व प्रोपाईटरशिप फर्म/कंपनी है और जिसके भागीदार/स्वामी) श्री .... पुत्र..................... श्री .... निवासी........................ एवं महाप्रबंधक (कम्प्यूटर) , म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, भोपाल के बीच आज दिनाँक .... को यह करार निष्पादित करता हूँ /करते हैं । इसके द्वारा इस बात की पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के मुख्यालय के, कम्प्यूटर कंज्यूमेवल प्रदाय निविदा संबंध में म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, द्वारा आमंत्रित निविदा .... दिनाँक .... तथा संविदा की सामान्य शतों और उसके अनुबंधों/निर्देशों तथा परिशिष्टों का अध्ययन कर स्वीकार करते हैं एवं मैं/हम, मेरे/ हमारे द्वारा महाप्रबंधक(कम्प्यूटर), म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन भोपाल को प्रस्तुत निविदा के परिणामस्वरुप प्रस्ताव पत्र .... दिनाँक ....में जो इस करार का एक भाग हैं मै/हम विनिर्दिष्ट की गई दरों पर निविदा के प्रबंधनों तथा शर्तों के अनुसार उक्त कार्य स्वेच्छा से ले रहा हूँ/ले रहे हैं । मैं/हम उक्त कार्पोरेशन को यह आश्वासन देता हूँ/देते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य को इस संविदा की अवधि पर्यन्त सभी अवस्थाओं पर मेरी/हमारी सर्वोत्तम योग्यता से करुंगा/करेंगे ।

निविदा दस्तावेज में समाहित उदबोघन, निविदा/निर्देश व मार्गदर्शक सूचनाएं, नियम एंव शर्तें उसमें संलग्न सभी पृष्ठ एवम् परिशिष्ट आदि इस अनुबंध पत्र के अभिन्न अंग हैं और दोनो पक्षकार इनसे आबद्ध रहने के लिये बाध्य है। यह करार दिनाँक .... से .... के लिये या उस दिनाँक तक, जिस तक यह संविदा बढाई जाये, लागू रहेगा ।

(संविदाकार) वह हैसियत जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा है	**कार्पोरेशन की ओर से अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर (महाप्रबंधक कम्प्यूटर)**
साक्षी 1..........................	साक्षी 1..........................
2..........................	2..........................

परिशिष्ट – चार

(कंपनी/फार्म के लेटर हेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दिया जावे)

मैं .... सहमति देता हूँ कि यदि मेरे/हमारे द्वारा निविदा में प्रस्तुत दरें अन्य निविदाकारों की तुलना में अधिक आयटम हेतु न्यूनतम पायी जाती है तो मेरे द्वारा शेष आयटम भी निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर पर प्रदाय किये जावेंगे |

(हस्ताक्षर)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नाम :...

पद :...

परिशिष्ट – पांच

(चार्टर्ड अक्उटेंड के लेटर हेड पर जारी किया जावे)

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स .... का गत 03 वित्तीय वर्षो में कंप्यूटर कंज्यूमेबल विक्रय से कुल टर्नओवर निम्नानुसार है :-

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	कंप्यूटर कंज्यूमेबल विक्रय से टर्नओवर (राशि लाख में)
1		
2		
3		
	औसत टर्नओवर	

हस्ताक्षर

चार्टर्ड अक्उटेंड

नाम ....

मो.नं. ....